UPAU010000742014

न्यायालय अपर सत्र न्यायालय–प्रथम, औरैया

सत्र वाद संख्या–43/2014

राज्य बनाम सियाराम
अपराध संख्या–591/2013
धारा–323/34, 308/34, 504 भा.दं.सं.
थाना–औरैया जिला औरैया

दिनांकः–09.12.2025 लंच बाद

1. पत्रावली पेश हुयी। विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण अवनीश कुमार व सियाराम की हाजिरी माफी प्रस्तुत की गयी जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गयी। अभियुक्त मान सिंह न्यायालय में उपस्थित।

2. प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 सी.आर.पी.सी ख–93 विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह प्रार्थना की गयी है कि उपरोक्त प्रकरण के साक्षी एस.आई. नागेन्द्र द्वारा विवेचना की गयी है पर इनका नाम आरोपपत्र में साक्ष्य की सूची में नहीं है। यह महत्वपूर्ण साक्षी है तथा इनका साक्ष्य कराना आवश्यक है। अतः उपरोक्त प्रकरण में साक्षी एस.आई. नागेन्द्र को साक्ष्य हेतु तलब किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. प्रार्थनापत्र ख–93 पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक आपत्ति की गयी है।

4. **दं0प्र0सं0 1973, की धारा 311** में यह प्रावधान वर्णित है कि **आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति–** कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जॉच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।

5. **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था (इददर एवं अन्य बनाम आबिदा एवं अन्य 2008 सुप्रीम कोर्ट क्रिम0 2008(1) एससीसी(क्रिम) 22** में यह अवधारित किया गया है कि–दं0प्र0सं0 की धारा 311 का प्रयोजन न्याय की विफलता को रोकना है। दं0प्र0सं0 की धारा 311 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए, इस विषय में यह अवधारित किया गया है कि निर्णायक कारक यह है कि यह आवश्यक है कि वाद का निर्णय उचित हो।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था (रामा पासवान एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड, 2008 सु0को0क्रि0रू 568) में यह अवधारित किया गया है कि– दं0प्र0सं0 की धारा 311 दो भागो में है। पहला भाग न्यायालयो को पूर्णतः वैवेकिक शक्ति प्रदान करता है कि वह तात्विक साक्षी को जॉच विचारण या कार्यवाहियों के किसी स्तर पर समन करे। दूसरा भाग आज्ञापक है और न्यायालय को बाध्य करता है कि वह ऐसी कोई कार्यवाही करे, जो न्याय करने के लिए आवश्यक है।

6. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि विवेचक नागेन्द्र को आरोपपत्र का साक्षी नहीं बनाया गया है। न्यायहित में न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि पत्रावली निस्तारित करते समय वाद का निर्णय उचित हो। न्याय की दृष्टि से एस.आई. नागेन्द्र को न्यायालय के सामने परीक्षित कराना आवश्यक है। इस साक्षी का बयान कराना न्यायसंगत विनिश्चय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

7. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ख–93 उपरोक्त स्थापित धारा 311 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुरूप है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आलोक में है। अतः उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के न्यायपूर्ण निर्णयन के लिए प्रश्नगत साक्षी

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2025.12.09 17:31:24 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1, Auraiya

एस.आई. नागेन्द्र को परीक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थनापत्र ख–93 स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र ख–93 स्वीकार किया जाता है कि साक्षी के न्यायालय में उपस्थित होने पर उसी दिन साक्ष्य पूर्ण की जायेगी। सम्बन्धित साक्षी एस.आई. नागेन्द्र को जरिए समन साक्ष्य हेतु आहूत किया जाए।

पत्रावली वास्ते साक्षी एस.आई. नागेन्द्र के साक्ष्य हेतु दिनांक 16.12.2025 को पेश हो।

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया